

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/ROAD/24796/2017 Date 17-05-2017

7. परियोजना /स्कीम का स्थान : 8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना
- (i) राज्य/ संघ शासित क्षेत्र : छत्तीसगढ़
(ii) जिला : रायगढ़
(iii) वन प्रभाग : धरमजयगढ़ वनमंडल
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन : 6.69 हेक्टेयर भूमि
(v) वन कानूनी स्थिति : संरक्षित वन 2.000 हे. (385पी.), राजस्व वन 4.69 हे. हेक्टेयर, कुल 6.69 हेक्टेयर
(vi) हरियाली का घनत्व : 0.4
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।
- मेसर्स मलका रिन्यूवल एनर्जी प्रा.लि. सिकंदराबाद के द्वारा धरमजयगढ़ वनमंडल के धरमजयगढ़ परिक्षेत्र अन्तर्गत 08 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें संरक्षित वन कक्ष कर्मांक 385पी. में रकबा 2.000हे. तथा राजस्व वन क्षेत्र खसरा नम्बर 1355/1क/1, 1375/1क/1 एवं 1379/1क रकबा 4.69 हे. कुल 6.690 हे. प्रभावित हो रहा है जिसमें प्रभावित वृक्षों की जानकारी संलग्न है।
- (viii) भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
- भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं हैं।
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।
- वनो से दूरी लगभग 500 मीटर
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां. क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबधित की जाये)
- नहीं हैं।
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।
- नहीं
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
- नहीं
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।
- प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता से सहमत हूं।

डा. प्रणय मिश्र (भा. व. से.)

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मंडल

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।
- नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।
- संलग्न है।
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- संलग्न है।
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- संलग्न है।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।
- संलग्न है।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।
- 4937965.00
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)
- संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)।
- संलग्न है।
12. विभाग/जिला प्रोफाइल
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र
- 652744.000 हेक्टेयर ।
- (ii) जिले का वन क्षेत्र
- 244804.00 हेक्टेयर ।
- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।
- 06 प्रकारण 528.624 हेक्टेयर
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:

डा. प्रणय मिश्र (भा.व.से.)
 वनमण्डल अधिकारी
 धरमजयगढ़ वन मंडल

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।
587.000 हेक्टर

(ख) इनेतर भूमि पर।
निरक

(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

(क) वन भूमि।
587.000 हेक्टर

(ख) इनेतर भूमि पर।

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश:

मेसर्स गजका रिन्यूबल एनर्जी प्रा.लि. सिकंदराबाद के द्वारा धरमजयगढ़ वनमण्डल के धरमजयगढ़ परिक्षेत्र अन्तर्गत 08 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है जिससे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बिजली आपूर्ति सुगम होगी इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेत अनुशसा की जाती है।

हस्ताक्षर

डा.अणय मिश्र (भा.व.से.)

सरकारी अधिकारी
धरमजयगढ़ वन मण्डल

दिनांक :- 03/5/2018
स्थान :- धरमजयगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

उप वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वन मण्डल